DEPTH OF PILE
C/S OF PILE
DET. OFPILE CAP
R.C.C SLAB
FRONT GUTTER
BY PASS
COARSE SAND
GRAVEL
BOULDER
100 MM DIA PILE
SECTION AT-A Á
DET OF RECHARGEBLE
BORE WELL
TO
SHEIKHPURA MOAR
AG COLONY
90FEET ROAD
APPLICANT'S PLOT
PROFESSOR'S COLONY
TO PATEL NAGAR
LOCATION PLAN
KEY PLAN
OVER HEAD WATER TANK
MUMTY
BALCONY
TOILET
BED ROOM
KITCHEN
LOBBY
PARKING
COMMUNITY HALL
GUARD ROOM
SECTION AT- Y - Y
SOUTH SIDE ELEVATION
FRONT ELEVATION
MACHINE ROOM
SECTION AT- X - X
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING
"ASHA NIVAS KUNJ"
FOR MUSKAN CONSTRUCTIONS PVT LTD
SURVEY PLOT NO - 323, KHATA NO - 402,
TAUZI NO - 5767, THANA NO - 09 P.S.
-SHASTRI NAGAR, MAUZA - SHEKHPURA
, MOHALLA- PROFESSOR COLONY NORTH
SHASTRI NAGAR (BEHIND I.G.M.S) PATNA
NORTH
SCALE 1:100
DRG NO. 02
Er. Manoj Kumar
Regd. Structure Engineer
Reg. No-SE/02/16/20
P.M.C. Patna
SIGN. OF ENGINEER
Rajesh Kumar
Shyam Prasad
Empanelment No.
SIGN OF OWNER
SIGN OF ARCHITECT
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, ब्लॉक-सी, द्वितीय तल्ला, पटना-800001

पत्र संख्या- 2397 /प0न0नि0

प्रेषक,

उप निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री राजेश कुमार,
मुस्कान कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0,
जी-70, पी.सी. कॉलोनी,
कंकड़बाग, पटना

पटना, दिनांक- 08/03/2016 ई0।

विषयः- **प्लान केस सं०-P/Shekhpura/PRN/G+3/66/2015 की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन सं0-P/Shekhpura/PRN/G+3/66/2015 दिनांक-28.12.2015 के संदर्भ में श्री राजेश कुमार, पिता-श्री अर्जुन प्रसाद सिन्हा, के लिए भवन निमार्ण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित .... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के .... प्लाट सं0-323, खाता सं0-402, तौजी सं0-5767, थाना-शास्त्रीनगर, थाना सं0-09, मौजा-शेखपुरा, शास्त्रीनगर, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 298.13 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 15.15 मीटर से 15.30 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 0.00 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) पटना नगर निगम द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र (N.O.C.) एवं लीज डीड के शर्तों को पूर्णतः अनुपालन करेंगे।

(ट) नक्शा की स्वीकृति के क्रम में आवश्यक दस्तावेजों में अमीन का सत्यापन प्रतिवेदन अनिवार्य दस्तावेज होता है। चूँकि निगम में संप्रति अमीन कार्यरत/पदास्थापित/प्रतिनियुक्त नहीं है। इसलिए आवेदक ने अपने दस्तावेजों में निजी अमीन द्वारा तैयार प्रतिवेदन संलग्न किया है। इसलिए भविष्य में निगम को अमीन की सेवा उपलब्ध होने पर वर्तमान संलग्न अमीन प्रतिवेदन के सत्यता की जाँच कराने पर किसी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता पाये जाने की स्थिति में आवेदक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तथा स्वीकृत नक्शा स्वतः रद्द समझा जायेगा।

(ठ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

उप निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।